

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 7(2)ग्रावि/गुप-1/2015


जयपुर, दिनांक:

3 0 DEC 2015

—आदेश—


श्री ज्ञानचन्द जेठानी, अधिशाषी अभियन्ता(अभियांत्रिकी), जिला परिषद, करौली द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर श्री जेठानी की सेवाएं निर्देशानुसार इनके पैतृक विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) को तत्काल प्रभाव से लौटाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग में प्रस्तुत करें ।

श्री जेठानी अपना कार्यभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली के निर्देशानुसार सम्बन्धित अधिकारी को संभलवायेंगे ।

  
(उज्ज्वल राठी)  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
6. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, करौली ।
8. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर ।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली को प्रेषित कर लेख है कि श्री जेठानी को तत्काल कार्यमुक्त करें ।
10. श्री ज्ञानचन्द जेठानी ।
11. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

  
(उज्ज्वल राठी)  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)